Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत् विकास

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: JHPM19

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत् विकास

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–2

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 87501 87501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

JPSC DLP विषय सूची (Contents)

12. आर्थिक विकास एवं विकास के सूचक **5–24**

12.1 आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास 5

12.2 आर्थिक विकास के मापन 8

12.3 सामाजिक-आर्थिक लेखांकन 13

12.4 आर्थिक विकास की रणनीति 17

12.5 आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 19

13. सतत् एवं समावेशी विकास **25–75**

13.1 सतत्/धारणीय आर्थिक विकास 26

13.2 17 सतत् विकास लक्ष्य 34

13.3 समावेशी विकास 54

13.4 समावेशी विकास में प्रमुख चुनौतियाँ 59

13.5 समावेशी संवृद्धि 61

13.6 संभाव्य संवृद्धि के कारक 62

13.7 समावेशिता का अर्थ 62

13.8 अर्थव्यवस्था का स्वरूप एवं समावेशी संवृद्धि 63

13.9 समावेशी विकास एवं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 64

13.10 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकासात्मक नीति एवं रणनीति 65

13.11 झारखंड की 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना 68

14. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे **76–176**

14.1 अनुसूचित जातियों का कल्याण 76

14.2 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 88

14.3 वर्तमान परिदृश्य: अनुसूचित जाति एवं जनजाति 106

14.4 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास एवं कल्याण बोर्ड 110

14.5 अन्य पिछड़े वर्गों की बेहतरी एवं संरक्षण हेतु तंत्र, कानून, संस्थाएँ, संवैधानिक निकाय एवं कल्याणकारी योजनाएँ 110

14.6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अन्य सकारात्मक कदम 112

14.7 अल्पसंख्यकों का कल्याण 116

14.8 महिलाओं के विरुद्ध अपराध 130

15. गरीबी **177–206**

15.1 गरीबी के प्रकार 177

15.2 सतत् विकास लक्ष्य-1: सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना 180

15.3 भारत में गरीबी को मापने से संबंधित विभिन्न समितियाँ 181

15.4 भारत में गरीबी 182

15.5 गरीबी को दूर करने के उपाय 185

15.6 सूचकांक 188

15.7 यूनिवर्सल बेसिक इनकम 191

15.8 गरीबी निवारण से संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम और योजनाएँ 192

15.9 झारखंड में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 198

16. बेरोज़गारी **207–230**

16.1 भारत में बेरोज़गारी के लक्षण 207

16.2 भारत में बेरोज़गारी 208

16.3 बेरोज़गारी से जुड़े महत्त्वपूर्ण आयाम 211

16.4 बेरोज़गारी के कारक 212

16.5 बेरोज़गारी के वर्गीकरण का आधार 212

16.6 भारत में बेरोज़गारी के कारण 214

16.7 शिक्षा और बेरोज़गारी 215

16.8 बेरोज़गारी दूर करने के उपाय 216

16.9 रोज़गार सृजन के उपकरण 217

16.10 रोज़गार की प्रवृत्तियाँ 218

16.11 रोज़गार सृजन हेतु कुछ सामान्य अनुशंसाएँ 219

16.12 जनसांख्यिकीय लाभांश तथा रोज़गार योग्यता 220

16.13 रोज़गार विहीन संवृद्धि 221

16.14 वैश्वीकरण और रोज़गार 222

16.15 भारत में बेरोज़गारी दूर करने के मुख्य कार्यक्रम 224

17. खाद्य और पोषण सुरक्षा **231–284**

17.1 खाद्य सुरक्षा 231

17.2 खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 246

17.3 भारत में खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य प्रबंधन 249

17.4 खाद्य प्रसंस्करण 251

17.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली 268

17.6 भारतीय खाद्य निगम 276

17.7 एक देश-एक राशन कार्ड योजना 279

17.8 बफर स्टॉक 280

अध्याय
12

आर्थिक विकास एवं विकास के सूचक (Indicators of Economic Growth and Development)

आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास में गैर-आर्थिक चर को भी शामिल किया जाता है, जैसे- शिक्षा एवं साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएँ, जीवन प्रत्याशा तथा लैंगिक विकास आदि।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, "विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है, आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है।" आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योगों, विनिर्माण, सेवा एवं बैंकिंग आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा सर्वाधिक होता है। अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया था, जबकि महबूब-उल-हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था। अत: आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधन; जैसे- पूंजी, श्रम, तकनीक आदि एक-दूसरे पर ऐसा अनुकूल प्रभाव डालते हैं जिससे आय में वृद्धि के कारण क्रय शक्ति भी बढ़ती है।

आर्थिक संवृद्धि को प्राय: सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि के रूप में समझा जाता है। सामान्यत: आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है जो कि श्रमशक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार के विस्तार के साथ होता है। आर्थिक संवृद्धि होने पर आर्थिक विकास हो, यह आवश्यक नहीं है, किंतु आर्थिक विकास होने पर निश्चित रूप से आर्थिक संवृद्धि होती है।

वर्ष 1970 से 1980 के बीच आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि को एक ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास का एक भाग माना जाता है। आर्थिक संवृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है।

12.1 आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास *(Economic Growth and Economic Development)*

किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएँ दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं- आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास।

आर्थिक संवृद्धि: समग्र चरों, जैसे- राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को 'आर्थिक संवृद्धि' कहते हैं।

आर्थिक विकास: इन परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों व मानवीय सरोकारों जैसे कारकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे हम 'आर्थिक विकास' कहते हैं।

आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। जहाँ आर्थिक संवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक संवृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा, जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक संवृद्धि चाहे कितनी भी महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, पर यह अपने में साध्य नहीं हो सकती। आर्थिक विकास के लिये आर्थिक संवृद्धि आवश्यक है तथा यह आर्थिक विकास की प्राप्ति में मददगार सिद्ध होगी, परंतु आर्थिक संवृद्धि की तीव्र दर आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि आर्थिक विकास भी ऊँचा है। आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य-कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, बेरोज़गारी, विषमता आदि को प्रगतिशील रूप से कम करना तथा अंतिम रूप से समाप्त करना है। आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है, जो अपने में आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक क्षेत्र विकास तथा समावेशी विकास को सम्मिलित किये हुए है।

- भारतीय शहरों में प्रदर्शन प्रभाव।
- निजी निगम क्षेत्र का असंतोषजनक योगदान।
- सार्वजनिक क्षेत्र की असंतोषजनक निष्पत्ति।

तकनीकी प्रगति *(Technology progress)*

तकनीक से आशय नवीन वस्तुओं के विकास से संबंधित विधियों/तरीकों से है, जबकि नवाचार का तात्पर्य पुरानी वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार से है। जिस देश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति तेजी से होती है, उस देश के बाज़ार में नई-नई वस्तुएँ आ जाती हैं और पुरानी वस्तुओं में सुधार किया जाता है। इससे जहाँ एक ओर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत घट जाती है, जिससे देश का आर्थिक विकास भी होता है। जिन देशों में तकनीकी, नवाचार, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति धीमी गति से होती है, वहाँ आर्थिक विकास भी धीमी गति से होता है।

तकनीकी प्रगति के लिये कुशल उद्यमी, अधिक विनियोग, शोध एवं विस्तृत बाज़ार की आवश्यकता होती है।

आधारभूत संरचना *(Infrastructure)*

समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारभूत संरचना का निर्माण करती है।

आधारभूत संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है-

- **परिवहन:** रेलवे, सड़कें, जहाज़रानी और नागरिक परिवहन
- **संचार:** डाक एवं तार, टेलीफोन, टेली संचार आदि
- **ऊर्जा:** कोयला, बिजली, तेल और अन्य गैर-पारंपरिक स्रोत
- **सामाजिक उपरिव्यय:** स्वास्थ्य, सफाई एवं शिक्षण
- **बैंकिंग, वित्त एवं बीमा**
- **विज्ञान एवं तकनीकी**

12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के साथ-साथ अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की उपलब्धता उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिये ही नहीं वरन् इस वृद्धि को समावेशी बनाने हेतु भी आवश्यक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 56.3 लाख करोड़ रुपए (लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) होगा, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किये गए निवेश से लगभग दोगुना था।

सार्वजनिक क्षेत्र के परिमित संसाधनों के सापेक्ष यह धनराशि काफी बड़ी होती है और केवल सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों के माध्यम से ही यह लक्ष्य संभव नहीं हो सकेगा। इसलिये निजी क्षेत्रों को अवसंरचना के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। इस दिशा में सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) की अहम भूमिका है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक में तीन घटक- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग को शामिल किया जाता है।
- जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्रमशः 100 तथा 1 होता है।
- राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक के परिकलन में **उपभोग व्यय एवं शैक्षिक सूचकों** का उपयोग करते हैं।
- शिक्षा विकास सूचकांक, 2012–13 में उच्चतम रैंक पर लक्षद्वीप एवं न्यूनतम रैंक पर झारखंड था।
- मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य **मध्य प्रदेश** था।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्रमशः 0 से 1 होता है।
- मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है।
- पूंजी निर्माण के तीन आवश्यक घटकों में बचत, बचत के गतिशीलन हेतु वित्तीय संस्थाएँ तथा विनियोग को शामिल किया जाता है।
- भारत में पूंजी निर्माण के आँकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिज़र्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।

- दीपक पारेख समिति आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से संबंधित है।
- औद्योगिक प्रगति **बिजली उत्पादन, परिवहन एवं संचार** जैसी आधारभूत संरचना के विकास पर निर्भर करती है।
- किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड **प्रति व्यक्ति वास्तविक आय** है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वर्ष 2016 में HDI में विश्व के 188 देशों के बीच भारत का स्थान क्या था? **6th JPSC (Pre)**
   (a) 130 (b) 131
   (c) 132 (d) 133
2. सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणत: ध्यान में नहीं रखा जाता है? **5th JPSC (Pre)**
   (a) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि
   (b) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि
   (c) सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि
   (d) प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि
3. मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है?
   (a) पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी
   (b) निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धि
   (c) जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय
   (d) मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी
4. निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया?
   (a) यूएनडीपी द्वारा (b) आईएमएफ द्वारा
   (c) यूनिसेफ द्वारा (d) अंकटाड द्वारा
5. फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है?
   (a) मुद्राविस्फीति एवं बेरोज़गारी
   (b) मुद्रास्फीति एवं बेरोज़गारी
   (c) मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोज़गारी
   (d) मुद्राविस्फीति एवं चक्रीय बेरोज़गारी
6. किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है-
   (a) सकल घरेलू उत्पाद (b) शुद्ध घरेलू उत्पाद
   (c) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (d) प्रति व्यक्ति उत्पाद
7. निम्न में से कौन-सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है?
   (a) वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि
   (b) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि
   (c) किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि
   (d) जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि

उत्तरमाला

1. (b) 2. (b) 3. (c) 4. (a) 5. (b) 6. (d) 7. (b)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है? व्याख्या करें। **4th JPSC (Mains)**
2. मानव विकास सूचकांक (HDI) के प्रमुख निर्धारकों की पहचान कीजिये। भारत के विशेष संदर्भ में कौन-सा प्रमुख है और क्यों?
3. आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में पूँजी निर्माण का उल्लेख करें।
4. आर्थिक विकास के प्रमुख घटकों का उल्लेख करते हुए आर्थिक विकास की रणनीति बताइये।
5. आर्थिक संवृद्धि क्या है? यह आर्थिक विकास से कैसे अलग है? तुलनात्मक विश्लेषण करें।
6. हरित लेखांकन से आप क्या समझते हैं? भारत में अर्थव्यवस्था के विकास को इससे जोड़कर देखा जाना क्यों आवश्यक है?

अध्याय
13

सतत् एवं समावेशी विकास (Sustainable and Inclusive Development)

'सतत् विकास' शब्द का प्रयोग 1980 के दशक के अंत में 'हमारा साझा भविष्य' (Our Common Future) नामक रिपोर्ट, जिसे 'द ब्रंटलैंड रिपोर्ट' (The Brundtland Report) के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद व्यापक रूप से किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग ने विकास के लिये परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमारे रहन-सहन एवं शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। मानवता के लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिये पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया। इस आयोग का औपचारिक नाम 'पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग' (The World Commission on Environment and Development) था। इसने मानव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय या खराब होती स्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उस क्षय के परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। आयोग की स्थापना करते समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशिष्ट रूप से दो विचारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था-

- पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर्संबंधित हैं।
- सतत् विकास के लिये वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है।

सतत् विकास की संकल्पना हमारे आस-पास तथा विश्व के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में आवश्यक परिवर्तन लाती है और उसी के अनुरूप हम सरकार से निर्णयों की आशा करते हैं। अक्सर सरकारें आर्थिक विकास का त्याग किये बिना विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक संसाधनों संबंधी प्रतिस्पर्द्धी मांगों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती हैं, लेकिन ऐसा संतुलन स्थापित करना सरकारों के लिये एक जटिल चुनौती होती है।

सतत् विकास की संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि आर्थिक संवृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं है। किसी कार्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम अंतर्संबंधित हैं। एक समय में इन तीनों में से केवल एक पर विचार करने से निर्णय में त्रुटि हो सकती है तथा टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐतिहासिक रूप से केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक एवं पर्यावरणीय हानि होती है, जो दीर्घकाल में समाज को नुकसान पहुँचाती है, लेकिन पर्यावरण की देखभाल एवं लोगों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये कुछ मात्रा में आर्थिक संसाधन अवश्य चाहिये।

संक्षेप में सतत् विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं:

- आर्थिक संवृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है।
- पर्यावरणीय रूप से दूषित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों या स्थलों को पारिस्थितिकी अनुकूल शहरी आवासीय परियोजनाओं में बदला जा सकता है।
- प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा दक्षता तथा प्रदूषण में कमी लाने को बढ़ावा मिल सकता है।
- निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों एवं अन्य भागीदारों को शामिल किया जा सकता है।

अपनी अंतर्निर्भर या अंतर्संबंधित प्रकृति के कारण सतत् विकास की प्रकृति रणनीतियों में समन्वय तथा अच्छे निर्णय लेने के संदर्भ में संस्थात्मक या भौगोलिक रूप से किसी देश की सीमा पार कर जाती है, उदाहरण के लिये- आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified) फसलों को लेते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिये कृषि, पर्यावरण, व्यापार, स्वास्थ्य तथा अनुसंधान मंत्रालयों की सहभागिता की आवश्यकता होती है। इसके लिये ज़रूरी होता है कि विभिन्न मंत्रालय साक्ष्यों की तुलना करें तथा एक ऐसी स्थिति पर सहमत हों, जहाँ व्यावहारिक नीतियाँ तय की जा सकें। ऐसी नीति जिससे कम-से-कम लागत पर अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के बीज वायु या पक्षियों द्वारा देश की सीमा पार कर सकते हैं। इससे इस मुद्दे में एक नया अंतर्राष्ट्रीय आयाम जुड़ जाता है।

मानव कार्यों से भी पारिस्थितिकी परिवर्तन होता है। जैसे, यदि लकड़ी के लट्ठों का सही प्रबंधन न किया जाए तो इससे वनों का ह्रास बढ़ता जाता है, जिससे अल्पकालिक रूप से लाभ होता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से आय का नुकसान होता है। इससे जैव-विविधता की हानि तथा वनों की कार्बन सोखने की क्षमता का भी नुकसान होता है।

अध्याय
14

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Socio and Economically Backward Areas)

देश में अलग-अलग समय पर अनुसूचित जाति के लिये भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे दलित, हरिजन, पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, अछूत, शूद्र इत्यादि से संबोधित किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिये बजट में लगभग 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की दिशा में लगभग 85,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। महिलाओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए इस बजट (2020–21) से महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये 28,600 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

14.1 अनुसूचित जातियों का कल्याण *(Welfare of Scheduled Castes)*

ये वे लोग हैं जो अंतिम वर्ण जिसे 'शूद्र' अथवा 'अवर्ण' या 'अंत्यज' कहा गया है, के अंतर्गत आते हैं। 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम से यह अस्तित्व में आया। 1935 से पहले इन्हें 'अस्पृश्य' अथवा निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था।

ये लोग उच्च जातियों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार थे। 'अस्पृश्य' कही जाने वाली इन जातियों की पहचान हेतु ब्रिटिश सरकार ने 'शोषित वर्ग' (Depressed Class) शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों- हिंदू, जनजातीय एवं शोषित वर्ग में बाँटने का सुझाव दिया। 1931 में अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन में 'शोषित वर्ग' का नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति' करने का प्रस्ताव रखा। 1935 में 'अनुसूचित जाति' शब्द को अपना लिया गया ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पीड़ित इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

2011 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या लगभग 20.14 करोड़ दर्ज की गई। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है, 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या लगभग 16.66 करोड़ थी। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 20.8% हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान देश की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में 9.79 करोड़ महिलाएँ हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य मिज़ोरम है। भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य क्रमशः पंजाब (31.9%) एवं मिज़ोरम (0.1%) हैं। वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 है जबकि वर्ष 2001 में लिंगानुपात 936 था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है।

भारत में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक रक्षोपाय और अन्य प्रावधान *(Constitutional Safeguards and Other Provisions for Scheduled Castes in India)*

अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Relating to SCs)

(A) **परिभाषा**

- अनुच्छेद 341 — अनुसूचित जातियाँ
- अनुच्छेद 366(24) — अनुसूचित जातियों की स्पष्ट परिभाषा

(B) **सामाजिक रक्षोपाय के मानक**

- अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 25 — अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

अध्याय
15

गरीबी (Poverty)

गरीबी वह स्थिति है, जब लोग भोजन, वस्त्र एवं आवास या आश्रय संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। गरीबी मूलत: वंचन से संबंधित है, गरीबी कई रूपों में दिखाई दे सकती है। इसमें सतत् आजीविका, भूख एवं कुपोषण को समाप्त करने वाली आय एवं उत्पादक संसाधनों का अभाव पाया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का अभाव होता है। बीमारियों के कारण अस्वस्थता तथा मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत आवास विहीनता या अपर्याप्त आवास, असुरक्षित पर्यावरण, सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्करण देखने को मिलता है। इसे निर्णय-निर्माण तथा नागरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता के अभाव के रूप में भी देखा जाता है। यह सभी देशों में देखने को मिलती है। विकासशील देशों तथा विकसित देशों के कुछ क्षेत्रों में भी व्यापक गरीबी दिखाई देती है। आर्थिक मंदी के कारण आजीविका खोने, संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक गरीबी पैदा होती है। कम मज़दूरी वाले कामगारों में भी गरीबी पाई जाती है। पारिवारिक सहायता, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से बाहर हो गए लोगों में भी गरीबी पाई जाती है।

15.1 गरीबी के प्रकार *(Types of Poverty)*

सामान्य रूप से गरीबी दो प्रकार की होती है-

1. **निरपेक्ष गरीबी** (Absolute Poverty)- निरपेक्ष गरीबी गंभीर अभाव (Severe deprivation) की स्थिति है, जिसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, जैसे– भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा तथा सूचना का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिये गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा है, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है, उन्हें निर्धन माना जाता है। यह केवल आय पर ही नहीं बल्कि सेवाओं की पहुँच पर भी निर्भर करती है। इस तरह की गरीबी मुख्यत: अल्पविकसित तथा विकासशील देशों में दिखाई देती है।
2. **सापेक्षिक गरीबी** (Relative Poverty)- समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को 'सापेक्षिक गरीबी' कहते हैं अर्थात् सापेक्षिक गरीबी तब देखने को मिलती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। वे सामान्य जीवन जीने तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये संघर्ष करते हैं। सापेक्षिक गरीबी देश के अनुसार बहुसंख्यकों के जीवन स्तर के अनुसार बदलती रहती है। हालाँकि, यह निरपेक्ष गरीबी की तरह तीव्र नहीं है, लेकिन यह काफी गंभीर एवं हानिकारक है। जिस समाज में पूर्ण समानता होती है, उस समाज में सापेक्षिक गरीबी नहीं होती है, किंतु विश्व में कहीं भी ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अत: विश्व के हर देश में सापेक्षिक गरीबी पाई जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गरीबी विकल्पों एवं अवसरों से वंचित करना एवं मानव गरिमा का उल्लंघन है। गरीबी के कारण व्यक्ति समाज में प्रभावी रूप से सहभागिता नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य परिवार के लिये भोजन एवं वस्त्र जुटाने में अक्षमता से है। गरीब व्यक्ति स्कूल या अस्पताल जाने में सक्षम नहीं होता है। उसके पास रोज़गार करने, खाद्यान्न उपजाने या रहने के लिये ज़मीन का अभाव होता है। उसकी क्रेडिट तक पहुँच नहीं होती है। गरीबी से तात्पर्य व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदायों की असुरक्षा, शक्तिहीनता तथा बहिष्करण से है।

निर्धनता जाल *(Poverty Trap)*

हाल के वर्षों तक गरीबी को अधिकांशत: आमदनी या इसके अभाव के संदर्भ में समझा जाता था। गरीब उसे समझा जाता था, जो उचित भोजन एवं आवास का वहन नहीं कर सकता था, लेकिन 'गरीबी' आमदनी में कमी या कैलोरी की

अध्याय
16

बेरोज़गारी (Unemployment)

बेरोज़गारी वह स्थिति है, जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोज़गार की खोज करता है, लेकिन वह काम पाने में अक्षम रहता है। बेरोज़गारी को सामान्यत: बेरोज़गारी दर के रूप में मापा जाता है। बेरोज़गारी दर, बेरोज़गार व्यक्तियों की वह संख्या है, जो श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है।

एक व्यक्ति को बेरोज़गार तब माना जाता है, जब वह प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिये तैयार तथा इच्छुक है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता तब ऐसे व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' तथा ऐसी समस्या को 'बेरोज़गारी की समस्या' कहा जाता है।

16.1 भारत में बेरोज़गारी के लक्षण *(Features of Unemployment in India)*

- सामान्यत: हम लोग उस व्यक्ति को बेरोज़गार मानते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है या जिसे कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन यह पूर्णत: नहीं बल्कि अंशत: ही सही है। यह बात ज़्यादातर उन व्यक्तियों के मामले में सही है, जो शिक्षित हैं और काम पाने में सक्षम नहीं हैं या जो काम की तलाश में शहरों में आते हैं।
- इस तरह हम एक बड़े वर्ग या अधिसंख्यक व्यक्ति जो खेती के कार्य से जुड़े हैं और जिन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें रोज़गार करने वाले व्यक्तियों में से बाहर कर देते हैं। उदाहरण के लिये, जो व्यक्ति एक छोटे भूखंड का मालिक है और जो खेती करता है, वह भी रोज़गाररत है, जबकि उसे भी वेतन या मज़दूरी नहीं मिलती है।
- इसी तरह देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जिसे उसके कार्य के बदले किसी तरह का वेतन या मज़दूरी नहीं मिलती है। इनमें किसान, छोटे दुकानदार, कारीगर, टैक्सी ड्राइवर, मैकेनिक, छोटे एवं बड़े उद्योगपति आदि शामिल हैं, जबकि इन्हें भी काम में लगे हुए व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इन व्यक्तियों के अलावा वेतन प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों को नियोजित या रोज़गाररत व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि काम के बदले वे वेतन या वस्तु प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लाभदायक रूप से नियोजित नहीं हैं, वे बेरोज़गार हैं। अगली समस्या बेरोज़गार व्यक्तियों की पहचान करने से जुड़ी है।
- सामान्य रूप में भारत में 15–59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। अन्य शब्दों में इस आयु वर्ग के व्यक्तियों में काम करने या नियोजित होने की क्षमता है। इस तरह इस आयु वर्ग (15–59 वर्ष) के जो व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं हैं, उन्हें बेरोज़गार माना जाता है, लेकिन यह परिकल्पना भी पूरी तरह सही नहीं है। इस आयु वर्ग में कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो नियोजित होना ही नहीं चाहते हैं। ये वैसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं और वे स्वयं रोज़गार करना नहीं चाहते हैं। हाल के दिनों तक अधिसंख्यक महिलाओं, विशेषकर विवाहित महिलाओं को इसी श्रेणी का समझा जाता था, क्योंकि वे घरेलू कार्य करती हैं।

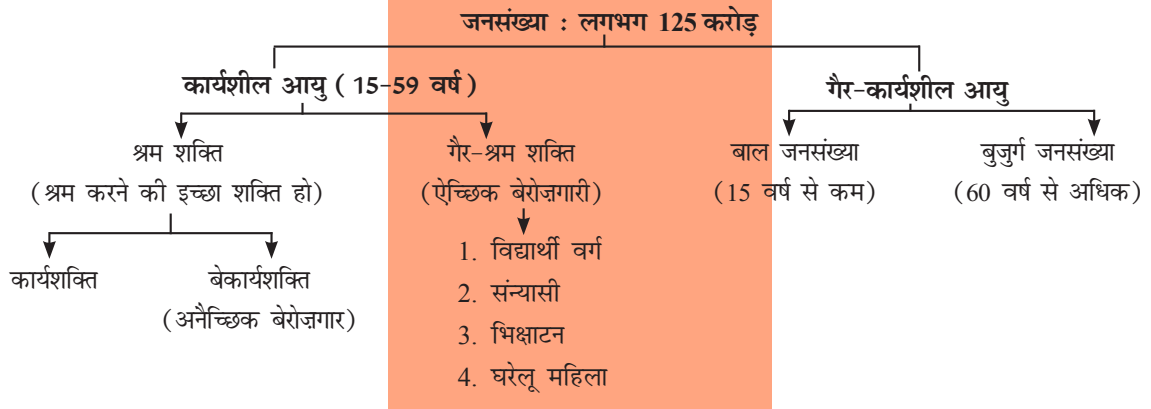

अध्याय
17

खाद्य और पोषण सुरक्षा (Food and Nutrition Security)

खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों से लाभकारी मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करना, उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर तबके के उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न वितरण और खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता के लिये कड़ी मात्रा में खाद्यान्न भंडार रखना है। खाद्यान्नों का वितरण मुख्यत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अधीन है और इसे नियंत्रण आबंटन और लाभार्थियों द्वारा इसकी खरीद के मापदंड द्वारा अभिशासित किया जाता है। खाद्य एवं लोक वितरण विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से 2018–19 और 2019–20 के दौरान 'लोक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन' नाम से एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नया राशन कार्ड प्राप्त करने की जरूरत के बिना देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से उनके खाद्यान्नों की पात्रता बढ़ाने हेतु 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' प्रणाली के माध्यम से एनएफएसए के तहत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करना है।

17.1 खाद्य सुरक्षा *(Food Security)*

खाद्य सुरक्षा वह अवस्थिति है, जब स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनयापन के लिये निरंतर पर्याप्त, सुरक्षित एवं पोषक खाद्य की उपलब्धता और इसकी सुगम पहुँच सुनिश्चित हो।

खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि समग्रता में खाद्यान्नों अर्थात् भोजन की उपलब्धता हो एवं इसके साथ-साथ व्यक्तियों व परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो, ताकि वे आवश्यकतानुसार खाद्यान्न खरीद सकें। जहाँ तक पर्याप्त उपलब्धता का संबंध है, इसके दो पहलू हैं:

- **मात्रात्मक पहलू:** अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धता इतनी हो कि मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके।
- **गुणात्मक पहलू:** जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization–FAO) द्वारा खाद्य सुरक्षा की व्यापक व्याख्या की गई है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के लिये मूलत: निम्न तत्त्वों का होना आवश्यक है–

- **उपलब्धता:** खाद्यान्न हर समय और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- **किफायती:** खाद्यान्न किफायती होने चाहिये एवं लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिये आर्थिक पहुँच होनी चाहिये अर्थात् नागरिकों के पास खाद्यान्नों की आवश्यक क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity–PPP) होनी चाहिये।
- **समावेशन:** खाद्यान्न सुरक्षित और पोषक होने चाहिये, ताकि वे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो सकें।
- **स्थिरता:** खाद्यान्न प्रणाली उचित रूप से स्थिर होनी चाहिये। खाद्यान्न प्रणाली में अधिक अस्थिरता का न केवल गरीबों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अपितु यह राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली की स्थिरता को भी जोखिम में डाल देता है।

खाद्य सुरक्षा की परिभाषा *(Definition of Food Security)*

"सभी व्यक्तियों के लिये हर समय सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिये पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि ही खाद्य सुरक्षा होती है।" (विश्व विकास रिपोर्ट, 1986)

"सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिये आवश्यक बुनियादी भोजन के लिये भौतिक एवं आर्थिक, दोनों रूपों में खाद्यान्नों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है।"

(खाद्य और कृषि संगठन, 1983)

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation